

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

शुद्धि पत्र

विभागीय राज्यादेश सं०- 276, दिनांक- 24.03.2017 तथा आवंटनादेश सं०- 277, दिनांक- 24.03.2017 में अंकित स्वीकृत एवं आवंटित राशि “₹73.73187 लाख (तेहत्तर लाख तेहत्तर हजार एक सौ सतासी रु०) को ₹75.73187 लाख (पचहत्तर लाख तिहत्तर हजार एक सौ सतासी रु०)” पढ़ा जाय।

2. उक्त राज्यादेश एवं आवंटनादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

(जय प्रकाश मंडल),

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/जला०-01-62/2016 2343 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-29.3.17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल/ जिला पदाधिकारी, बाँका/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, अमरपुर/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, बाँका/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।